

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

श्रीधरसिंह अधिकारी :- अति नर्ग ^{अति नर्ग}
राजस्व वाद संख्या :- 321/2019

1. ओमप्रकाश
 2. विनोद कुमार
- पुत्र छोदूराम जाति नायक साकिन सूरवाली तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़।
— वादीगण

- : **बनाम** ::—
1. छोदूराम पुत्र चेताराम
 2. रेश्मी देवी पत्नि छोदूराम
 3. सुन्न पुत्री छोदूराम
 4. राजस्थान सरकार जरिये
- जाति नायक साकिन सूरवाली
तहसील पीलीबंगा
जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।
— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं विभाजन

—: **उपस्थित अभिभाषकगण** ::—

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता
 2. श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता
- वादीगण
— प्रतिवादीगण

—: **निर्णय** ::—

दिनांक :- 20.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार संहिता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सह अंशदायी है। उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार के कर्ता वादीगण के दादा श्री चेताराम थे।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 1 बीएलडब्ल्यू के खाता सं. 22 के प.नं. 17/244 के किला नं. 16, 17/1, 24, 25 की 0.822 हैक., प.नं. 18/245 के किला नं. 4/1, 5 ता 7, 14, 15 की 1.202 हैक., प.नं. 19/247 के किला नं. 11 ता 13, 16 ता 25 की 3.162 हैक. इस प्रकार कुल तादादी 5.186 हैक. नहरी अ.क. म.गै.मु. कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा श्री चेताराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात प्रश्नगत रकबा प्रतिवादी सं. 1 को विरासत/दस्तवरदारी के प्राप्त हुआ है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदा व काश्त की सहूलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करवा दिया जिसमे प्रतिवादी सं. 3 ने अपना समस्त हक व हिस्सा का हक त्याग वादीगण के हक मे मौखिक रूप से कर दिया जिसका वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य अच्छी मंदा व काश्त की सहूलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा हुआ है जो निम्न प्रकार से है :-

वादी सं. 1 ओमप्रकाश को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमि :	चक	प.नं.	किला	तादादी
1 बी.एल.डब्ल्यू.	18/245	4/1/.063, 5/.032 अ.क., 0.025 रास्ता		0.614 है.
		6/.057, 7/.253, 14/.127, 15/.057		0.506 है.
	19/247	11, 12		

वादी सं. 2 विनोद कुमार को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि : कुल तादादी 1.120 है.
 चक प.नं. किला तादादी
 1 बी.एल.डब्ल्यू 18/245 5/196, 6/196, 15/196 0.588 है.
 19/247 16, 17 0.506 है.
 कुल तादादी 1.094 है.

वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा "क-ख" में वर्णित रकवा अनुसार वादीगणका कब्जा घरू बंटवारा के समय से ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादीगण ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण का हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा "क-ख" में वर्णितानुसार कृषि भूमि की घोषणा करवाने तथा आपसी खाता तकसीम करवाने का अधिकारी है।

मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादीगण का मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादी सं. 1 कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है।

प्रतिवादी सं. 4 भू धारक है इसलिए उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। 8 यह कि वाद पत्र उचित कोर्ट फीस पर तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :

- (क.) घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा "क-ख" में वर्णित रकवा के वादीगण खातेदार काश्तकार है।
- (ख.) मुताबिक अनुतोप "क" वादीगण क भूमि का आपसी खाता तकसीम किया जाकर रकम राज अलग कायम की जावे।
- (ग.) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
- (घ.) अन्य कोई अनुतोप जो न्यायालय उचित समझे

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण दिनांक 08.08.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री हीरालाल विरथलिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री जितेन्द्र मण्डा अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण हैं दोनों पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेवाजी नहीं होने देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :-

वादी सं. 1 ओमप्रकाश को घरू बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि : तादादी
 चक प.नं. किला तादादी
 1 बी.एल.डब्ल्यू 18/245 4/1/.063, 5/.032 अ.क., 0.025 रास्ता 0.614 है.
 6/.057, 7/.253, 14/.127, 15/.057 0.506 है.
 19/247 11, 12

वादी एवं प्रतिवादी के कलेक्टर

वादी सं. 2 विनोद कुमार को घर बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि :

कुल तादादी 1.120 है.

क्र.सं.	प.सं.	किला	तादादी
1	श्री.एल.डब्ल्यू 18/245	5/.196, 6/.196, 15/.196	0.588 है.
	19/247	16, 17	0.506 है.
			कुल तादादी 1.094 है.

वादी प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है तो गिन प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा। वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष नें उक्त राजीनाम बदरूस्ती होश हवास बिना किसी नशा पता के बिना किसी दबाव व बहकाव के लिखवा दिया है।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरान बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जददी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-: आदेश :-


वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद पत्र की दफा 4 की उप दफा "क-ख" में वर्णित रकबा के वादीगण खातेदार काश्तकार है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :-

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिंग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 20.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अधिष्ठापी)धिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी उपद्वार
पदेन सहायक कार्यालय
पीलीबंगा